

कार्यालय गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण
सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर
दूरभाष—(0551) 2580010, 2580090 फैक्स. (0551) 2580020

अति अल्पकालीन निविदा सूचना

गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा गीडा में निम्न कार्य हेतु काउन्सिल आफ आर्किटेक्चर में पंजीकृत फर्म/आर्किटेक्ट से ऑफ लाईन निविदा प्रतिशत दर में अधोलिखित कार्य हेतु टू-बिड्स सिस्टम द्वारा मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के स्वीकृति के अनुसार निविदा दिनांकको पूर्वाहन 11:00 बजे से दिनांक....को अपराहन 11:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। दिनांक..... को अपराहन 3:00 बजे प्रीक्वालिफिकेशन/टेक्निकल बिड गीडा कार्यालय में खोली जायेगी एवं प्रीक्वालिफिकेशन में उपयुक्त पाये गये निविदादाताओं के फाईनेन्शियल बिड खोलने की तिथि, कुल प्राप्त निविदाओं की संख्या के आधार पर नोटिस बोर्ड पर सूचित किया जायेगा। कार्यालय बन्द होने पर या अवकाश होने की दशा में यह बिड अगले कार्यालय दिवस में खोली जायेगी।

क्र० सं०	कार्य का नाम	आगणन धनराशि (जी. एस.टी. अतिरिक्त (रु० लाख में)	धरोहर धनराशि (रु० लाख में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य	कार्यावधि	पंजीकृत श्रेणी	निविदा की श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	गीडा परिक्षेत्र के सेक्टर-11 के ग्राम—कालेसर में आवासीय योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित ई०डब्ल००ए००/एल०आई० जी० भवनों का ३ डी मॉडल बनाये जाने का कार्य	4.00	0.40	(निविदा मूल्य + जी.एस.टी.) रु० 1180.00	10 दिन	काउन्सिल आफ आर्किटेक्चर में पंजीकृत	ऑफ लाईन

नोट—कृपया निविदा प्रपत्र इत्यादि के सम्बंध में विस्तृत जानकारी वेबसाइट www.gidagkp.in पर प्राप्त की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त दिनांक तक कोई भी शुद्धि पत्र नोटिस बोर्ड व गीडा गोरखपुर की वेब साइट www.gidagkp.in से प्राप्त की जा सकती है।

नियम एवं शर्तेः—

- 1) निविदादाता द्वारा निविदा मूल्य तथा धरोहर धनराशि “गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण” के खाता संख्या—740901000088, IFSC कोड—ICIC0007409, ICICI बैंक, शाखा—तारामण्डल, गोरखपुर में RTGS/NEFT के माध्यम से जमा कराते हुये जमा कराते हुये जमा रसीद (UTR No./Transaction ID) निविदा प्रपत्रों के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- 2) निविदा की वैधता निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि से 90 दिन तक होगी।
- 3) ITB क्लाज 4.4 बी के अनुसार बिड्स के साथ दिये गये सभी प्रपत्र के सत्यता एवं सूचना के सम्बन्ध में निम्न आशय का नान ज्युडिशियल स्टैम्प पेपर पर एक शपथ प्रमाण—पत्र मूल रूप में “मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा,

गोरखपुर” को सम्बोधित करते हुए “बिड्स की अन्तिम तिथि के पूर्व का एवं निविदा के अन्तिम समय से पूर्व का होना चाहिए, अपलोड करना होगा:-

i) ऐसे निविदादाता जिसका सगा—सम्बन्धी (defined as first blood relations, and their spouses) जैसा कि खण्डीय लेखाधिकारी/अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/सहायक प्रबन्धक/प्रबन्धक/वरिष्ठ प्रबन्धक के पद पर आसीन होंगे, को कार्य करने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी। निविदादाता को इस सम्बन्ध में नाम तथा पद सहित कार्यकारी रिश्तेदारों का शपथ—पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जोकि खण्ड अथवा वृत्त में कार्यरत है।

ii) ऐसे राजपत्रित अभियन्ता/अधिकारी जिनका राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार की सेवा से दो वर्ष सेवानिवृत्त पूर्ण नहीं हुए हैं, को कार्य करने की अनुमति बिना राज्य सरकार/केन्द्र सरकार की अनुमति नहीं दी जायेगी। यदि कोई सेवानिवृत्त अभियन्ता/अधिकारी बिना सरकार की अनुमति के कार्य करते हुये पाये जायें, तो संज्ञान में आते ही उनकी निविदा तुरन्त निरस्त कर दी जायेगी।

iii) कोई भी निविदादाता जो स्टेट बार काउंसिल में पंजीकृत है, उन्हें निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

4) प्रत्येक बिड्स को निम्न आशय का भी नान—ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर के शपथ—पत्र पर सभी सूचनाएँ निर्धारित प्रपत्रों पर आन—लाईन अपलोड करना अनिवार्य है, जिससे कि निविदादाता की बिड्स कैपेसीटी (कार्य करन की निविदा—क्षमता) / परीक्षण / ऑकलित हो सके:-

5) सभी श्रेणी के निविदादाताओं द्वारा काउंसिल आफ आर्किटेक्चर में पंजीकरण, पैन कार्ड, आधार कार्ड तथा जी0एस0टी0 का पंजीकरण की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

6) निविदादाता द्वारा कम रेट अंकित करने पर नियमानुसार निर्धारित तिथि के अन्तर्गत आवश्यकतानुसार परफार्मेन्स सिक्योरिटी जमा करने के पश्चात ही अनुबन्ध की कार्यवाही की जायेगी।

7) निविदा की दरें स्पष्ट रूप से शब्दों तथा अंकों में निर्धारित स्थान पर अंकित होने चाहिए। एक / समस्त निविदा को स्वीकार व अस्वीकार करने का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीड़ा में निहित होगा।

8) निविदा स्वीकृति के पश्चात निविदा कार्य की कार्यादेश आदेश प्राप्ति के 10 दिन के अन्दर समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करते हुये निर्धारित स्टैम्प पेपर पर अनुबन्ध सम्पादित कराना अनिवार्य है अन्यथा विलम्ब के लिए रु0 1000 प्रतिदिन अर्थदण्ड देय होगा जिसकी अधिकतम सीमा 45 दिन होगी तथा नियत समय के अन्दर अनुबंध के संबंध में समस्त कार्यवाही पूर्ण करना अनिवार्य है अन्यथा स्वीकृति पत्र की वैधता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

9) कार्य पूर्ण होने के पश्चात एक माह के अन्दर कार्य में किसी प्रकार की कर्मी पाये जाने पर कर्मी को दूर करना फर्म की पूर्ण जिम्मेदारी होगी।

10) फर्म द्वारा निर्धारित समय से कार्य पूर्ण न किये जाने की दशा में विलम्ब का कारण दर्शाते हुये संतोषजनक उत्तर देने पर समय वृद्धि अथवा सन्तोषजनक कारण न होने पर अनुबंध की धनराशि पर 1 प्रतिशत अथवा उससे अधिक दण्ड शुल्क लगाते हुये समय वृद्धि स्वीकृत करने का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीड़ा में निहित होगा।

11) अव्यवहारिक दरें किसी भी दशा में मान्य नहीं होंगी।

12) फर्म द्वारा कराये गये मानकों के अनुसार कार्यों का समय—समय पर भुगतान किया जायेगा


)निविदादाता द्वारा संलग्न प्रपत्र जांच के समय अथवा बाद में असत्य पाया जाता है तो सम्बन्धित फर्म के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराते हुए धरोहर धनराशि जब्त कर निविदाकार को ब्लैक लिस्ट किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

14) किसी भी विवाद की दशा में मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।

15) (i) जी०एस०टी० एवं अन्य करों की देयता नियमानुसार निविदादाता की होगी।

ii) निविदादाता सम्पूर्ण आवश्यक प्रचलित दरों के दृष्टिगत निविदा की दरों को कोट करना सुनिश्चित करेंगे।

16) अन्य नियम व शर्तें गीडा/लोक निर्माण विभाग के अनुरूप होगीं जिन्हें किसी भी कार्य दिवस में गीडा अभियन्त्रण अनुभाग में देखी व जानी जा सकती हैं।


(अनुज मलिक)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी।

2494

पत्रांक / अभि०नि०-६ / सिविल / निविदा(सि०) / गीडा / 2024-25 दिनोंक ०५-०९-२०२४
प्रतिलिपि :-

- 1— विशेष कार्याधिकारी, गीडा को सूचनार्थ।
- 2— निविदा समिति के सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 3— कम्प्यूटर अनुभाग, गीडा को इस आशय से प्रेषित कि निश्चित समय पर वेबसाइट www.gidagkp.in पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
- 4— गीडा कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चर्चा हेतु।
- 5— वरिष्ठ प्रबन्धक (सिविल) को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 6— सम्बन्धित पत्रावली।


(अनुज मलिक)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी।

कार्यालय गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण

सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर

दूरभाष—(0551) 2580010, 2580090 फैक्स. (0551) 2580020

■ निविदा सूचना

गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा गीडा/केन्द्र/राज्य सरकार के विभागों एवं अर्द्धसरकारी उपक्रमों में सिविल निर्माण कार्य हेतु कॉलम न0 7 के अनुसार अहं श्रेणी में पंजीकृत फर्म/ठेकेदार से ऑफ लाईन निविदा प्रतिशत दर में अधोलिखित कार्य हेतु टू-विड्स सिस्टम द्वारा निविदा दिनांक 24.10.2024 को पूर्वाह्न 11:00 बजे से दिनांक 13.11.2024 को अपराह्न 03:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। दिनांक 13.11.2024 को अपराह्न 4:00 बजे प्रीक्वालिफिकेशन/टेक्निकल बिड गीडा कार्यालय में खोली जायेगी एवं प्रीक्वालिफिकेशन में उपयुक्त पाये गये निविदादाताओं के फाईनेन्शियल बिड खोलने की तिथि, कुल प्राप्त निविदाओं की संख्या के आधार पर नोटिस बोर्ड/ई-पोर्टल पर सूचित किया जायेगा। कार्यालय बन्द होने पर या अवकाश होने की दशा में यह बिड अगले कार्यालय दिवस में खोली जायेगी।

क्र0 सं0	कार्य का नाम	निविदा धनराशि (रु0 लाख में) (जी.एस. टी. अतिरिक्त)	धरोहर धनराशि (रु0 लाख में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (जी. एस.टी. सहित)	कार्यावधि	पंजीकृत श्रेणी	निविदा की श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	गीडा अधिसूचित क्षेत्र धुरियापार के अन्तर्गत गोला तहसील में स्थापित गीडा साइट कार्यालय में शेड का कार्य।	2.51	0.26	(निविदा मूल्य + जी.एस.टी.) रु0 1180.00	30 दिन	D	ऑफ— लाईन

नोट— कृपया निविदा प्रपत्र इत्यादि के सम्बंध में विस्तृत जानकारी गीडा वेबसाइट www.gidagkp.in पर प्राप्त की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त दिनांक 13.11.2024 तक कोई भी शुद्धि पत्र नोटिस बोर्ड व गीडा गोरखपुर की वेबसाइट www.gidagkp.in से प्राप्त की जा सकती है।

नियम एवं शर्तः—

- 1) निविदादाता द्वारा निविदा मूल्य तथा धरोहर धनराशि “गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण” के खाता संख्या—740901000088, IFSC कोड—ICIC0007409, ICICI बैंक, शाखा—तारामण्डल, गोरखपुर में RTGS/NEFT के माध्यम से जमा कराते हुये जमा कराते हुये जमा रसीद (UTR No./Transaction ID) निविदा प्रपत्रों के साथ ऑनलाईन अपलोड करना अनिवार्य है।
- 2) निविदा की वैधता निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि से 90 दिन तक होगी।
- 3) ITB क्लाज 4.4 बी के अनुसार बिड्स के साथ दिये गये सभी प्रपत्र के सत्यता एवं सूचना के सम्बन्ध में निम्न आशय का नान ज्युडिशियल स्टैम्प पेपर पर एक शपथ प्रमाण—पत्र मूल रूप में

“मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा, गोरखपुर” को सम्बोधित करते हुए “बिड़स की अन्तिम तिथि के पूर्व का एवं ई-प्रोक्यूरमेंट के अन्तिम समय से पूर्व का होना चाहिए, अपलोड करना होगा:-

- i) ऐसे निविदादाता जिसका सगा—सम्बन्धी (defined as first blood relations, and their spouses) जैसा कि खण्डीय लेखाधिकारी / अवर अभियन्ता / सहायक अभियन्ता / सहायक प्रबन्धक/प्रबन्धक / वरिष्ठ प्रबन्धक के पद पर आसीन होंगे, को कार्य करने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी। निविदादाता को इस सम्बन्ध में नाम तथा पद सहित कार्यकारी रिश्टेदारों का शपथ—पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जोकि खण्ड अथवा वृत्त में कार्यरत है।
- ii) ऐसे राजपत्रित अभियन्ता/अधिकारी जिनका राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार की सेवा से दो वर्ष सेवानिवृत्त पूर्ण नहीं हुए हैं, को कार्य करने की अनुमति बिना राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अनुमति नहीं दी जायेगी। यदि कोई सेवानिवृत्त अभियन्ता/अधिकारी बिना सरकार की अनुमति के कार्य करते हुये पाये जायेंगे, तो संज्ञान में आते ही उनकी निविदा तुरन्त निरस्त कर दी जायेगी।
- iii) कोई भी निविदादाता जो स्टेट बार काउंसिल में पंजीकृत है, उन्हें निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- 4) प्रत्येक बिड़स को निम्न आशय का भी नान—ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर के शपथ—पत्र पर सभी सूचनाँए निर्धारित प्रपत्रों पर आन—लाईन अपलोड करना अनिवार्य है, जिससे कि निविदादाता की बिड़स कैपेसीटी (कार्य करने की निविदा—क्षमता)/परीक्षण/आँकलित हो सकें:-
 - i) प्रत्येक निविदा के साथ निविदादाता को सभी सूचनाँए/प्रपत्र निर्धारित प्रारूप जैसे—टी—4 (चरित्र प्रमाण पत्र), टी—5 (हैसियत प्रमाण पत्र) की सत्यापित छायाप्रति एवं टी—6 (शपथ पत्र) मूल रूप से निर्धारित प्रारूप पर (निविदा आमंत्रण तिथि के पश्चात् निर्गत नोटराइज्ड होना) प्रत्येक निविदा के साथ, शा०सं० 2572/23—7—2014—176 (सामान्य)/०६टी०सी० दिनांक 23 सितम्बर 2014 के क्रम में अपलोड करना अनिवार्य है।
 - ii) लोक निर्माण विभाग के शासनादेश संख्या 836/23—7—17—176(सा०)/०६ दिनांक 08 जून 2017 को बिन्दु संख्या 2 के अनुसार टेन्डर/कार्य में पारदर्शिता एवं सूचिता लाने तथा माफियां गतिविधियों एवं गुण्डा तत्वों पर रोक लगाने एवं माफिया गतिविधियों, गैंगेस्टर एवं गुण्डा गतिविधियों में संलग्न हो उसे ठेका नहीं दिया जायेगा। जो व्यक्ति संगठित अपराधों अथवा असामाजिक गतिविधियों में संलग्न हों उसे भी ठेका नहीं दिया जायेगा। ऐसे व्यक्तियों का ठेका प्रक्रिया में भाग लेना भी प्रतिबंधित होगा साथ ही उसे भी ठेका नहीं दिया जायेगा। साथ ही जो ठेकेदार पूर्व में लो०नि०वि० अथवा राज्य सरकार या किसी अन्य विभाग में ब्लैकलिस्टेड श्रेणी में आते हैं वो भी ठेके में भाग नहीं ले सकेंगे और उन्हे कोई भी ठेका स्वीकृत नहीं किया जायेगा। ठेकेदार द्वारा इस सम्बन्ध में निविदा के साथ शपथ पत्र (नोटरी एफिडेविट) प्रस्तुत करना होगा।
- 5 (i) सभी श्रेणी के निविदादाताओं द्वारा नवीनतम वैध चरित्र प्रमाण—पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र, श्रम विभाग में पंजीकरण, पैन कार्ड तथा जी०एस०टी० का पंजीकरण की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 6) निविदादाता द्वारा कम रेट अंकित करने पर नियमानुसार निर्धारित तिथि के अन्तर्गत नियमानुसार परफार्मेंस सिक्योरिटी जमा करने के पश्चात ही अनुबन्ध की कार्यवाही की जायेगी। अन्यथा की स्थिति में जमानत धनराशि जब्त करते हुये अग्रिम कार्यवाही का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा में निहित होगा तथा जमा की गयी परफार्मेंस सिक्योरिटी संतोषजनक ढंग से कार्य पूर्ण करने के उपरान्त अवमुक्त की जायेगी।
- 7) निविदा की दरें स्पष्ट रूप से शब्दों तथा अंकों में निर्धारित स्थान पर अंकित होने चाहिए। एक/समस्त निविदा को स्वीकार व अस्वीकार करने का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा में निहित होगा।

- 8) निविदा स्वीकृति के पश्चात निविदा कार्य की कार्यादेश आदेश प्राप्ति के 10 दिन के अन्दर समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करते हुये निर्धारित स्टैम्प पेपर पर अनुबन्ध सम्पादित कराना अनिवार्य है अन्यथा विलम्ब के लिए रु0 1000 प्रतिदिन अर्थदण्ड देय होगा जिसकी अधिकतम सीमा 45 दिन होगी तथा नियत समय के अन्दर अनुबंध के संबंध में समस्त कार्यवाही पूर्ण करना अनिवार्य है अन्यथा स्वीकृति पत्र की वैधता स्वतः समाप्त हो जायेगी।
- 9) निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात **24** माह के अन्दर कार्य में किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर कर्मी को दूर करना ठेकेदार/फर्म की पूर्ण जिम्मेदारी होगी। अन्यथा की स्थिति में धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
- 10) ठेकेदार द्वारा निर्धारित समय से कार्य पूर्ण न किये जाने की दशा में विलम्ब का कारण दर्शाते हुये संतोषजनक उत्तर देने पर समय वृद्धि अथवा सन्तोषजनक कारण न होने पर अनुबंध की धनराशि पर 1 प्रतिशत अथवा उससे अधिक दण्ड शुल्क लगाते हुये समय वृद्धि स्वीकृत करने का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा में निहित होगा।
- 11) अव्यवहारिक दरें किसी भी दशा में मान्य नहीं होंगी।
- 12) निविदादाता द्वारा संलग्न प्रपत्र जांच के समय अथवा बाद में असत्य पाया जाता है तो सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराते हुए धरोहर धनराशि जब्त कर निविदाकार को ब्लैक लिस्ट किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- 13) किसी भी विवाद की दशा में मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।
- 14) (i) जी0एस0टी0 एवं अन्य करों की देयता नियमानुसार निविदादाता की होगी।
(ii) निविदादाता सम्पूर्ण आवश्यक प्रचलित दरों के दृष्टिगत निविदा की दरों को कोट करना सुनिश्चित करेंगे।
(iii) निविदा स्वीकृति के समय ठेकेदार को अतिरिक्त धरोहर-धनराशि अपर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन लोक निर्माण अनुभाग-7 लखनऊ के शासदनादेश सं0 8/2017/836/ 23-7-17-176 (सा.)/06 दिनांक 8-6-2017 पैरा-19 के अनुसार देय होगी।
- 15) निविदाकार को उपरोक्त कार्य हेतु मशीनरी शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
- 16) अन्य नियम व शर्तें गीडा/लोक निर्माण विभाग के अनुरूप होगीं जिन्हें किसी भी कार्य दिवस में गीडा अभियन्त्रण अनुभाग में देखी व जानी जा सकती हैं।



(अनुज मलिक)

 मुख्य कार्यपालक अधिकारी

पत्रांक: 3466 /अभिनि0-6/सिविल/निविदा(सि0)/गीडा/2024-25, दिनांक: 22/अक्टूबर ,2024
प्रतिलिपि :-

- 1— उप जिलाधिकारी/विशेष कार्याधिकारी को सूचनार्थ।
- 2— निविदा समिति के सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 3— वरिष्ठ प्रबन्धक (सिविल) को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 4— प्रबन्धक (सिविल) गीडा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि निश्चित समय पर वेबसाईट www.gidagkp.in पर अपलोड/डाउनलोड कराना सुनिश्चित करें।
- 5— गीडा कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चर्चा हेतु।
- 6— सम्बन्धित पत्रावली/गार्ड फाईल।



(अनुज मलिक)

 मुख्य कार्यपालक अधिकारी